न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शामली।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 935/2026

अमन पुत्र छोटा, निवासी ग्राम काबडौत, थाना व जिला शामली।

..... **आवेदक/अभियुक्त,**

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा सहायक विशेष लोक अभियोजक, शामली। ..... **विपक्षी,**

मु०अ०सं० 480/2024
धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
थाना झिंझाना, जिला शामली।

दिनांकः–29.06.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **अमन पुत्र छोटा,** की ओर से मु० अ० सं० 480/2024 , अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट , थाना झिंझाना, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20.11.2024 को एस०एच०ओ० धर्मेन्द्र सिंह मह हमराही कर्चारीगण के देखरेख शांति व्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन थाना क्षेत्र में मामूर थे तो सूचना मिली कि अभियुक्तगण गैंग लीडर शिवम पुत्र विक्रम निवासी ग्राम दरगाहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली व गैंग सदस्य 1. अमन पुत्र छोटा नि० काबडौत रवि पुत्र राजपाल नि० ग्राम बरुकी थाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली 2. भोपा जनपद मु० नगर का एक सुसंगठित गिरोह है जिसका गैंग लीडर शिवम उपरोक्त है जो अपने अन्य साथी 1. अमन व 2. रवि उपरोक्त के साथ मिलकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु, जनता में भय व आतंक व असुरक्षा की भावना व्याप्त करने हेतु लूट जैसे संगीन अपराधो के अभ्यस्थ अपराधी है इनके कृत्य कार्य से जनता में भय व आतंक व असुरक्षा की भावना व्याप्त है इनके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने / गवाही देने का साहस नही करता है। इनका समाज में स्वतन्त्र रुप से रहना जनहित में नही है। फलस्वरूप प्रभारी निरीक्षक के द्वारा थाना झिंझाना पर अभियुक्तगण शिवम, अमन व रवि के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मामला पंजीकृत कराया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि आवेदक /अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को पार्टीबाजी व रजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त कभी भी समाज विरोधी क्रिया कलापों में सक्रिय नही रहा है तथा न ही किसी अपराधिक गैंग का सदस्य रहा है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक /अभियुक्त द्वारा कोई आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने या गवाह तोड़ने का कोई अन्देशा नहीं है। आवेदक /अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। आवेदक/अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक /अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

5. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का इस आपराधिक मुकदमें के अतिरिक्त अन्य आपराधिक मुकदमों का निम्न आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया हैः–

क्रम सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1	79/2024	309(6),317(2) बी०एन०एस०	थाना गढीपुख्ता,जिला शामली
2	84/2024	109(1)बी०एन०एस० व 25/27/3 आयुध अधिनियम	थाना गढीपुख्ता,जिला शामली
3	305/2024	309(4)/317(2)बी०एन०एस०	थाना झिंझाना,जिला शामली

7. आवेदक/अभियुक्त को कथित गैंग का सदस्य होना बताया गया है। पत्रावली में सलंग्न गैंगचार्ट के अनुसार आवेदक /अभियुक्त के विरूद्ध इस आपराधिक मुकदमें के अतिरिक्त मु 0अ0स0 79/2024 , धारा 309(6),317(2) बी०एन०एस०, थाना गढीपुख्ता, मु0अ0स0 305/2024, धारा 309(4)/317(2)बी०एन०एस०, थाना झिंझाना व मु०अ०सं० 84/2024, धारा 109(1)बी०एन०एस० व 25/27/3 आयुध अधिनियम, थाना गढीपुख्ता,जिला शामली दर्ज हैं। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त पर लूट व हत्या के प्रयास जैसे अपराध का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त के पुनः किसी अपराध में संलिप्त हो जाने की पूर्ण सम्भावना है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अमन पुत्र छोटा,** की ओर से मु० अ० सं० 480/2024 , अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट , थाना झिंझाना, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(ऋतु नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट., शामली।
J.O.I.D. No UP1671